राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ–226027
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः–2417 /241/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-V दिनांक 26/06/ 2019

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषयः–मा0 उच्चतम न्यायालय में याजित रिट याचिका (सिविल) संख्या– 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में संचालित शेल्टर होम में आश्रय ले रहे शहरी बेघरों (श्रमिकों) को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक सचिव उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पत्र सं0– 1021–22/भ0नि0बो0(844–A)–19 दिनांक 19.06.2019 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में संचालित सभी शेल्टर होम (DAY-NULM, NON DAY-NULM) में रूकने वाले व्यक्तियों का कैम्प के माध्यम से पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण कर बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं से नियमानुसार लाभान्वित किये जाने के निर्देश संबंधित अपर/ उप श्रमायुक्त को दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देश के अनुसार शेल्टर होम में आश्रय लेने वाले बेघरों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित अपर/उपश्रमायुक्त से समन्वय कर श्रम विभाग की योजनाओं से शहरी बेघरों को लाभान्वित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
24/6/2019
(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री बलविन्दर कुमार, IAS (से0नि0), सदस्य रेरा एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना, उ0प्र0 को उनके निर्देश के क्रम में अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग/नगर विकास उ0प्र0 शासन/सदस्य, एस0एल0एम0सी0 को महोदय के अवगतार्थ।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक डूडा उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा उत्तर प्रदेश।
8. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

192

प्रेषक,

सचिव,
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
द्वितीय तल, A&D ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ 226010।

सेवा में,

अपर/उप श्रमायुक्त,
प्रयागराज/आगरा/ मुरादाबाद/मेरठ/ पिपरी (सोनभद्र)/ वाराणसी/अलीगढ़/ अयोध्या/ गोण्डा/ बस्ती/सहारनपुर/ झाँसी/आजमगढ़/ चित्रकूटधाम बादां/ गोरखपुर/ बरेली/ गौतमबुद्धनगर(नोएडा)/ गाजियाबाद/ कानपुर/ लखनऊ।

पत्र संख्या– /भ0नि0बो0( )–19 दिनांक :

विषयः– मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में संचालित शेल्टर होम में आश्रय ले रहे शहरी बेघरों (श्रमिकों) को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस0यू0एल0एम0), उ0प्र0 राज्य नगरीय विकास अभिकरण–सूडा, उ0प्र0) के पत्र संख्या 2049/241/NULM/तीन/2001 (SUH) Vol-V दिनांक 13.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में संचालित/स्वीकृत DAY-NULM के साथ ही नगरीय निकायों द्वारा संचालित शेल्टर होम की सूची संलग्नकर इस आशय से प्रेषित किया है कि शेल्टर होम में रूकने वाले व्यक्तियों का कैम्प के माध्यम से पंजीकरण कर श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में संचालित/ स्वीकृत DAY-NULM के साथ ही नगरीय निकायों द्वारा संचालित शेल्टर होम की सूची को संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि अपने अधीन जनपदों से सम्बन्धित शेल्टर होम में कैम्प के माध्यम से पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण कर एवं बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं से नियमानुसार हित लाभ हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

पत्र सं0– 1021-22 /भ0नि0बो0 (844-A)–19 दिनांक : 19/06/19

प्रतिलिपिः– डा0 वी0के0 सिंह, अपर निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 (राज्य नगरीय विकास अभिकरण, सूडा उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0पी0 शुक्ल)